

मास्टर निदेश

स्पया जमाराशियों पर ब्याज दरें

विषय - सूची

1.	परिचय	4
2.	परिभाषाएं	4
3.	चालू खातों पर देय ब्याज दर	5
4.	बचत खातों पर देय ब्याज दर	5
5.	मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दर	5
6.	अतिरिक्त देय ब्याज	6
7.	रविवार/छुट्टी /कारबारेतर कार्य दिवस को परिपक्व होनेवाली मीयादी जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान	8
8.	मीयादी जमाराशि का परिपक्वता पूर्व आहरण	8
9.	मीयादी जमाराशि का संपरिवर्तन, दैनिक जमा के स्प्य में जमाराशि, या मीयादी जमा में पुनर्निवेश के लिए आवर्ती जमा	9
10.	अदावी जमाराशियां तथा निष्क्रिय खाते	10
11.	मृत जमाकर्ता के जमाखाते पर देय ब्याज	10
12.	लेनदेनों को पूर्णांकित करना	10
13.	मीयादी जमाराशियों की जमानत पर दिए आग्रिमों पर मार्जिन	10
14.	संयुक्त खाता धारकों के खाते में और नाम जोड़ना या हटाना या उन्हें अलग- अलग करना	10
15.	किसी खाताधारक की मृत्यु हो जाने पर जमाराशि को अंतरित करना /अलग करना	11
16.	फ्रोजेन खातों पर ब्याज का भुगतान	11
17.	छूट	11
18.	निषेध	11
	अनुबंध 1	14
	अनुबंध 2	15
	परिशिष्ट	18

स्पया जमाराशियों पर ब्याज दरें

1. परिचय

बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंकने इस बात से संतुष्ट होने पर कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है, यह निदेश जारी किए हैं कि कोई भी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक उसके द्वारा स्वीकारी गई या नवीकृत की गई स्पया जमाराशियों पर अनुबंध 1 और 2 में बताई गई दरों के अलावा अन्य दरों पर ब्याज अदा नहीं करेगा । ब्याज की अदायगी निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी ।

2. परिभाषाएँ

- (i) " मांग देयताएं " और "मीयादी देयताएं " का अर्थ वही होगा जैसा कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 18 में परिभाषित किया गया है ।
- (ii) " मांग जमा " का अर्थ बैंक द्वारा स्वीकारी गई वह जमाराशि है जो मांग किए जान पर आहरणीय है ।
- (iii) "बचत जमा" का अर्थ मांग जमा के उस प्रकार से है जो एक जमा खाता है, उसे "बचत खाता ", "बचत बैंक खाता ", "बचत जमा खाता " या अन्य किसी नाम से भी पुकारा जा सकता है । इसमें बैंक द्वारा निर्दिष्ट अवधि के दौरान आहरणों की संख्या और राशि प्रतिबंधित की जाती है ।
- (iv) "मीयादी जमा" का अर्थ बैंक द्वारा एक विशिष्ट अवधि के लिए स्वीकारी गई वह जमा राशि है जो उस निर्धारित अवधि की समाप्ति पर आहरणीय होगी । इसमें आवर्ती /संचयी /वार्षिकी/पुनर्निवेश जमाराशियां, नकदी प्रमाणपत्र और ऐसी ही जमाराशियां शामिल हैं ।
- (v) "सूचना जमा" का अर्थ विशिष्ट अवधि के लिए उस मीयादी जमाराशि से है जो कम से कम एकपूर्ण कार्य दिवस की सूचना पर आहरणीय है ।
- (vi) "चालू खाता " का अर्थ है एक प्रकार की मांग जमाराशि जिसमें से खाते में जमाराशि के आधार पर चाहे जितनी बार या एक विशिष्ट सहमत राशि तक आहरण की अनुमति दी जाती है । इसमें उन सभी खातों को शामिल माना जा सकता है जो बचत जमा खाता और मियादी जमा नहीं हैं ।
- (vii) "बजट आबंटन" का अर्थ बजट के माध्यम से सरकार द्वारा निधियों का आबंटन है । (जहां सरकार का सारा खर्च प्रदर्शित होता है) कोई भी संस्था , इस बात पर ध्यान दिए बिना कि वह सरकारी विभाग है , अर्ध सरकारी है या अर्ध सरकारी निकाय है, जिसे सरकार से ग्रांट, ऋण या आर्थिक सहायता मिल रही है, बजट आबंटन पर निर्भर कहलाई जाएगी । इन संस्थाओं की शेयर पूँजी में सरकार का अभिदान भी बजट आबंटन का एक हिस्सा है । महानगरपालिकाओं , जिला परिषदों, तालुका पंचायतों और ग्राम पंचायतों

जैसी स्थानीय निकायों को "क्षतिपूर्ति और समनुदेशन" के स्थ में ग्रांट दी जाती है जो कि बजट आबंटन का ही एक हिस्सा है । तथापि, इन संस्थाओं द्वारा वसूला गया कर केन्द्र और राज्य सरकार के बजट आबंटन की परिभाषा और परिधि में नहीं आता है ।

- (viii) "बैंक स्टाफ सदस्य" का अर्थ है नियमित आधार पर पूर्ण कालिक या अंश कालिक, नियुक्त व्यक्ति, जिसमें प्रोबेशन पर भर्ती किया गया या किसी विशिष्ट अवधि के लिए ठेके पर नियुक्त या प्रतिनियुक्त पर या समामेलन योजना के अनुसार लिया गया कर्मचारी शामिल है लेकिन इसमें आकस्मिक आधार पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं है ।
- (ix) बैंक स्टाफ का सेवानिवृत्त सदस्य का अर्थ है अधिवर्षिता या अन्य प्रकार से निवृत्त कर्मचारी, लेकिन इसमें जबरदस्ती या अनुशासनिक कार्रवाई के फलस्वरूप निवृत्त कर्मचारी शामिल नहीं है ।
- (x) स्टाफ सदस्य के संदर्भ में "परिवार" का मतलब सदस्य / सेवानिवृत्त सदस्य की पत्नी /का पति, बच्चे, माता- पिता और सदस्य / निवृत्त सदस्य के आश्रित भाई और बहने हैं । इसमें कानूनी तौर पर अलग हुए पति पत्नी शामिल नहीं हैं ।
- (xi) "राजनैतिक पार्टी" का अर्थ है कोई संघ या भारतीय व्यक्तियों की निकाय जो थोड़े समय के लिए लागू चुनाव चिह्न (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के अंतर्गत भारतीय चुनाव आयोग में एक राजनैतिक पार्टी के स्थ में पंजीकृत है या पंजीकृत मानी गई है ।

टिप्पणी: एनआरओ / एनआरई जमाराशियों केवल उन्हीं बैंकों द्वारा स्वीकार की जाएं जिन्हें

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में विशिष्ट रूप से प्राधिकृत किया गया हो ।

3. चालू खातों पर देय ब्याज दर

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक अपने विवेकानुसार चालू खातों पर आधा प्रतिशत प्रतिवर्ष से अनधिक ब्याज अदा कर सकते हैं । चूँकि आमतौर पर विवेकाधीन प्रावधानों के कारण ऐसी जमाराशियों की लागत में वृद्धि होती है इसलिए बैंकों को प्रेरित किया जा रहा है कि वे चालू खातों पर कोई ब्याज न दें । चालू खातों के शेष पर ब्याज, जहां भुगतान किया जाना है, के भुगतान का परिकलन दैनिक उत्पाद के आधार पर तिमाही या लंबे अंतरालों पर किया जा सकता है ।

4. बचत जमाराशियों पर देय ब्याज दर

4.1 बचत और अन्य जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान अन्य उपबंधों के अधीन, इस मास्टर परिपत्र के अनुबंध 1 और 2 में निर्दिष्ट दरों पर किया जाएगा ।

4.2 1 अप्रैल 2010 से बचत बैंक खाते की शेष राशि पर दैनिक आधार पर ब्याज का परिकलन किया जाएगा ।

4.3 यह ब्याज तिमाही आधार पर या लंबे अंतरालों पर अदा की जाएगी ।

5. (क) 15 दिनों से कम की मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें (15 लाख रुपये और अधिक की मीयादी जमाराशि के लिए 7 दिन और एनआरई जमाराशि के लिए 1 वर्ष)

बैंक इस परिपत्र के अनुबंध 1 और 2 में निर्दिष्ट दरों से ब्याज अदा करेंगे । बैंक देशी मीयादी जमाराशियों के लिए किसी दर से संबंध अस्थायी दर पर और एनआरई जमाराशियों के लिए इस मास्टर परिपत्र के अनुबंध 2 में उल्लिखित उच्चतर सीमा पर अपने विवेकानुसार ब्याज देने के लिए स्वतंत्र हैं। विभिन्न परिपक्वताओं वाली ब्याज दरें तय करने के लिए निदेशक मंडल का पूर्वानुमोदन लिया जाना चाहिए ।

- 5.1** बैंक मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें तय करने के लिए स्वतंत्र हैं ।
- 5.2** बैंक 01 नवंबर 2004 से अपने विवेकाधिकार से 15 लाख रुपये से कम की घरेलू/एनआरओ मीयादी जमाराशियों की भी न्यूनतम अवधि 15 दिनों से घटाकर 7 दिनों तक कर सकते हैं।
- 5.3** बैंकों को चाहिए कि वे एक समान परिपक्वता अवधि वाली 15 लाख रुपये से कम जमाराशियों के लिए एक समान दर निश्चित करें।
- 5.4** एक ही तारीख को स्वीकृत समान परिपक्वतावाली 15 लाख रुपये और उससे अधिक राशि के मामले में बैंक जमाराशि के आकार के आधार पर ब्याज दर में अंतर कर सकते हैं ।
- 5.5** बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे उन जमाराशियों सहित जिन पर विभेदक ब्याज अदा की जाएगी, ब्याज दरों की सूची अग्रिम तौर पर प्रदर्शित करें । किसी बैंक द्वारा देशी हजाराशियों के लिए अदा की गई ब्याज दर सूची के अनुसार होगी और उसे बैंक और जमाकर्ता बातचीत से तय नहीं कर सकेंगे ।
- 5.6** बैंक विभिन्न परिपक्वतावाली घरेलू मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दर सूची की समीक्षा करें और उन्हें वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दी जा रही ब्याज दरों की तुलना में लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें ।

(ख) मीयादी जमाराशियों पर ब्याज परिकलन की प्रणाली

सदस्य बैंकों द्वारा बैंकिंग प्रथाएं समान रूप से अपनाए जाने के लिए आईबीए द्वारा इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) कोड जारी किए गए हैं । कोड से यह अपेक्षित है कि वे न्यूनतम मानक स्थापित कर बैंकिंग प्रथाओं को उन्नत करें जिसे सदस्य बैंक ग्राहकों के साथ लेनदेन करते समय आचरण में लाएं । देशी मीयादी जमाराशियों पर ब्याज के परिकलन के लिए आईबीएने यह निर्धारित किया है कि तीन माह से कम की देय जमाराशियों पर या जहां अंतिम तिमाही अपूर्ण हो वहां वर्ष को 365 दिनों का मानते हुए वास्तविक दिनों की संख्या के लिए अनुपातिक आधार पर ब्याज अदा की जाए । हमें यह सूचना मिली है कि कुछ बैंक वर्ष को लीप वर्ष और अन्य वर्षों के लिए क्रमशः 366/365 दिनों का मान कर ब्याज अदा कर रहे हैं । बैंक जब कि

अपनी -अपनी प्रणाली अपनाने के लिए स्वतंत्र है तथापि, उन्हें चाहिए कि वे जमाराशि स्वीकार करते समय अपने जमाकर्ताओं को ब्याज के परिकलन के तरीके की समुचित रूप से जानकारी दें और इस सूचना के अपनी शाखाओं में प्रदर्शित करें।

6. अतिरिक्त देय ब्याज

6.1 स्टाफेत्तर जमाकर्ताओं को

- (i) प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक अपने विवेक से स्थानीय स्पया (देशी) बचत जमाराशियों पर और निवासी जमाकर्ताओं द्वारा खोले गए उन बचत खातों पर जो जमाकर्ताओं के विदेश जाने पर साधारण अनिवासी खाते (एनआरओ) बन जाते हैं , 1% प्रतिवर्ष से अनधिक दर से अतिरिक्त ब्याज अदा कर सकते हैं।
- (ii) बैंकों को जब कि बचत बैंक जमाराशियों और चालू खातों की जमाराशियों पर क्रमशः 1% और 1/2% से अनधिक अतिरिक्त ब्याज देने की अनुमति दी गई है तथापि, विवेकपूर्ण प्रावधानों के फलस्वरूप सामान्यतः जमाराशियों की लागत में वृद्धि हो जाती है । अतः बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे शीघ्रातिशीघ्र निम्नलिखित उपाय करें ।
- (क) वे बचत बैंक खातों पर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दी जा रही ब्याज दर से अधिक अतिरिक्त ब्याज न दें और
- (ख) चालू खातों पर ब्याज न दें ।

6.2 बैंक स्टाफ और उनके संघों को

कोई बैंक अपने विवेक से अनुबंध 1 और 2 में निर्धारित ब्याज दर से ऊपर एक प्रतिशत प्रतिवर्ष से अनधिक और पैराग्राफ 5 के अनुसार देय/प्रदत्त अतिरिक्त ब्याज अदा कर सकता है ।

- (क) निम्नलिखित के नाम से खोले गए बचत और मीयादी जमा खातों के संबंध में ,
- (i) बैंक स्टाफ के किसी सदस्य या सेवानिवृत्त सदस्य के नाम से अकेले या किसी अन्य सदस्य या अपने परिवर के किसी सदस्य के साथ संयुक्त स्प से ।
- (ii) मृत सदस्य की पत्नी/केपति या बैंक स्टाफ के किसी मृत सेवानिवृत्त सदस्य के नाम और
- (iii) कोई एसोसिएशन या कोई निधि जिसके सदस्य बैंक स्टाफ के सदस्य है के नाम

बशर्ते -

बैंक संबंधित जमाकर्ता से इस आशय का एक घोषणापत्र प्राप्त करे कि ऐसे खाते में जमा की गई राशि या समय समय पर जमा की जानेवाली राशि ऊपर शर्त (i) से (iii) में बताएं गए अनुसार जमाकर्ता कि राशि होगी ।

बशर्ते यह भी कि :-

- (क) दूसरे बैंक से प्रतिनियुक्ति पर लिए कर्मचारी के संबंध में जिस बैंक से उसे प्रतिनियुक्ति किया गया है वह बैंक प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान खोले गए बचत और मीयादी खातों पर अतिरिक्त ब्याज दे सकता है ।
- (ख) यदि किसी व्यक्ति को निर्धारित अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर या निर्धारित अवधि के लिए ठेके पर लिया गया हो तो प्रतिनियुक्ति या ठेके की अवधि, जैसी भी स्थिति हो, समाप्त हो जाने पर लाभ बंद हो जाएंगे ।
- (ख) अतिरिक्त ब्याज का भुगतान निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा ,
- (i) अतिरिक्त ब्याज तब तक देय होगी जब तक कि व्यक्ति उसके लिए पात्र बना रहता है । मीयादी जमा खाते के मामले में जमाराशि की परिपक्वता अवधि पर वह उसके लिए पात्र नहीं रहेगा ।
- (ii) समामेलन योजना के अनुकरण में लिए गए कर्मचारियों के मामले में अतिरिक्त ब्याज तभी देय होगी जब अतिरिक्त ब्याज सहित संविदाकृत ब्याज दर, यदि ऐसे कर्मचारी को मूलतः बैंक कर्मचारी के स्थ में नियुक्त करने पर दी जाने वाली ब्याज दर से अधिक न हो ।
- (ग) बैंक कर्मचारी फेडरेशन जिनमें बैंक के कर्मचारी सीधे सदस्य नहीं हैं , अतिरिक्त ब्याज के लिए पात्र नहीं होंगे ।

6.3 बैंक के प्रबंध निदेशकों /मुख्य कार्यपालकों को

कोई बैंक अपने विवेक से प्रबंध निदेशक से प्राप्त /नवीकृत जमाराशियों पर अनुबंध 1 और 2 में निर्धारित ब्याज दर और पैराग्राफ 5.1 के अनुसार देय/प्रदत्त अतिरिक्त ब्याज से ऊपर एक प्रतिशत प्रति वर्ष अतिरिक्त ब्याज दे सकता है बशर्ते वह (प्रबंध निदेशक) नियमित वेतन पर बैंक के मुख्य कार्यपालक की हैसियत से काम करता हो और पैराग्राफ 5.2 के अंतर्गत उसी प्रकार के लाभ लेने का पात्र न हो । बैंक के प्रबंध निदेशक की जमाराशियों पर ऊपर बताए गए अनुसार अतिरिक्त ब्याज प्रबंधक निदेशक के स्थ में उसके कार्यकाल के दौरान ही देय होगी ।

6.4 ज्येष्ठ नागरिकों को

- (i) बैंक अपने निदेशक मंडल की अनुमति से ज्येष्ठ नागरिकों को किसी भी आकार की मीयादी जमाराशियों पर उच्च ब्याज दर दे सकते हैं ।

- (ii) ज्येष्ठ नागरिकों के लिए मीयादी जमाराशि योजना में जमाकर्ता की मृत्यु पर हो जाने पर जमाराशि अपने आप उनके नामिनी के नाम अंतरित हो जाने की सरलीकृत क्रियाविधि होनी चाहिए ।

7. रविवार/छुट्टीवाले दिन/कारबारेत्तर कार्यदिवस को परिपक्व होनेवाली मीयादी जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान

रविवार/छुट्टीवाले दिन/कारबारेत्तर कार्यदिवस को भुगतान करने के लिए परिपक्व होनेवाली मीयादी जमाराशियों के संबंध में बैंक अगले कार्यदिवस तक पहले से सहमत दर से ब्याज अदा करेंगे -

- (i) पुनर्निर्वेश जमाराशियों और आवर्ती जमाराशियों के मामले में परिपक्वता मूल्य पर , और
- (ii) सामान्य मीयादी जमाराशि के मामले में वर्ष में 365 दिन के आधार पर आरंभिक मूल धन पर

8. मीयादी जमाराशि का परिपक्वतापूर्व आहरण

- 8.1** प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक जमाकर्ता के अनुरोध पर राशि जमा करते समय तय की गई अवधि पूर्ण होने से पहले किसी मीयादी जमाराशि के आहरण की अनुमति दे सकता है । ऐसी स्थिति में बैंक मीयादी जमाराशि के अवधि पूर्ण होने सेपहले आहरण करने पर अपना दंडात्मक ब्याज लगाने के लिए स्वतंत्र होंगे ।
- 8.2** बैंक यह सुनिश्चित करें कि जमाकर्ता को जमा दर के साथ-साथ दंडात्मक दर लगाए जाने से भी अवगत करा दिया जाता है
- 8.3** बैंक अपने विवेक से, व्यक्तियों और हिन्दू अविभक्त परिवार को छोड़कर संस्थाओं को परिपक्वता अवधि से पूर्व बड़ी राशिवाले आहरण की अनुमति नकार सकते हैं । तथापि, बैंकों को अग्रिम तौर पर अर्थात् जमाराशियां स्वीकार करते समय जमाकर्ताओं को परिपक्वता अवधि से पूर्व आहरण की अनुमति नहीं दिए जाने की अपनी नीति से अवगत करा देना चाहिए ।
- 8.4** तथापि, एफसीएनआर(बी) जमाराशियां बनाए रखने की अनुमति के लिए एनआरई जमाराशियों को एफसीएनआर(बी) जमाराशियां में और इसके विपरित किया गया संपरिवर्तन परिपक्वता पूर्व आहरण से संबंधित दंडात्मक उपबंधों के अधीन होगा ।

8.5 निश्चित अवरुद्धता अवधि वाली जमा योजनाएं

यह बात रिजर्व बैंक के ध्यान में लाई गई है कुछ बैंक नियमित मीयादी जमाराशियों के अतिरिक्त अपने ग्राहकों को 300 दिन से पांच वर्ष तक की विस्तारित सीमा वाले विशेष मीयादी जमाराशि उत्पाद प्रस्तावित कर रहे हैं जिनकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- (i) 6 से 12 महीने तक की विस्तारित सीमा वाली निश्चित अवरुद्धता अवधि;

- (ii) निश्चित अवरुद्धता अवधि के दौरान समयपूर्व आहरण करने की अनुमति नहीं होती है। अवरुद्धता अवधि के दौरान समयपूर्व आहरण करने की स्थिति में ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है;
- (iii) इन जमाराशियों पर दी जाने वाली ब्याज दरें, सामान्य जमाराशियों पर दी जाने वाली ब्याज की दरों के अनुस्पृष्ट नहीं हैं; तथा
- (iv) कुछ बैंक विशिष्ट शर्तों के अधीन आंशिक रूप से समयपूर्व भुगतान की अनुमति देते हैं।

अपने संबंधित बोर्डों के अनुमोदन से नयी देशी जमा संग्रहण योजनाएं प्रारंभ करने से पूर्व शहरी सहकारी बैंक जमाराशियों पर ब्याज की दरों, मीयादी जमाराशियों के समयपूर्व आहरण, मीयादी जमाराशियों की जमानत पर ऋण/अग्रिमों की स्वीकृति आदि के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें। इससे संबंधित किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) के अंतर्गत दंड भी लगाया जा सकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि कुछ बैंकों द्वारा प्रवर्तित निश्चित अवरुद्धता अवधि तथा ऊपर उल्लिखित अन्य विशेषताओं वाली विशेष योजनाएं हमारे अनुदेशों के अनुस्पृष्ट नहीं हैं। अतः जिन बैंकों ने ऐसी जमा योजनाएं प्रवर्तित की हैं उन्हें सूचित किया जाता है कि उन योजनाओं को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें और उसके अनुपालन की सूचना भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें।

9. मीयादी जमाराशि में निवेश करनेके लिए किसी मीयादी जमा, दैनिक जमा के स्थ में किसी जमाराशि, या आवर्ति जमाराशि का संपरिवर्तन

बेहतर आस्ति देयता प्रबंधन के लिए बैंकों को 5 मई 2010 से जमाराशियों के परिवर्तन की अपनी नीतियां तैयार करने के लिए अनुमति दी गई है।

10. बैंकों में अदावी जमाराशियों/निष्क्रिय खाते

बैंकों को जिन खाताधारकों के खाते निष्क्रिय हो गए हैं, उनका पता-ठिकाना ढूँढ़ने में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

- i. बचत तथा चालू खाता, दोनों में अगर दो वर्ष से अधिक अवधि से कोई लेनदेन नहीं हो रहा है तो उन्हे निष्क्रिय खाता माना जाए। किसी भी खाते को 'निष्क्रिय' रूप में वर्गीकृत करने के प्रयोजन के लिए ग्राहक तथा अन्य पार्टी के अनुरोध पर किए गए दोनों प्रकार के लेनदेन, अर्थात् नामे तथा जमा लेनदेन को विचार में लेना चाहिए।
- ii. बचत बैंक खातों में नियमित आधार पर ब्याज की अदायगी की जानी चाहिए चाहे खाता सक्रिय हो अथवा न हो। यदि मीयादी जमा राशि के परिपक्व होने पर देय राशि का भुगतान नहीं होता है तो बैंक के पास पड़ी अदावी राशि पर बचत खाते पर लागू ब्याज दर लागू होगी।

11. मृत जमाकर्ता के जमाखाते पर देय ब्याज

निम्नलिखित के नाम रखी मीयादी जमाराशि पर ब्याज का भुगतान करने संबंधी मानदंड : -

- (i) मृत जमाकर्ता व्यक्ति
- (ii) दो या अधिक संयुक्त जमाकर्ता, जहां एक जमाकर्ता की मृत्यु हो गई हो, वहां ब्याज का भुगतान कानुनी वारिसा प्रतिनिधि / नामितियों को करने निदेशक मंडल इस बारे में एक पारदर्शी नीति निर्धारित करे और जमाकर्ता को राशि

स्वीकार करते समय पूरी जानकारी दी जाए । यह नीतिं न तो विवेकाधिकार पर आधिरित हो और न ही भेदभावपूर्ण हो ।

12. लेनदेन को पूर्णांकित करना

जमाराशियों पर देय ब्याज और अग्रिमों पर प्रभार्य ब्याज को निकटतम स्थये में पूर्णांकित किया जाएगा अर्थात् 50 पैसे और अधिक की भिन्न को अगले स्थये में पूर्णांकित किया जाएगा जब कि 50 पैसे से कम की भिन्न को छोड़ दिया जाएगा ।

13. मीयादी जमाराशियों की जमानत पर दिये गए अग्रिमों पर मार्जिन

बैंक द्वारा मीयादी जमाराशि की जमानतपर दी गई किसी भी वित्तीय सहायता के लिए पर्याप्त मार्जिन बनाए रखने का निर्णय प्रत्येक बैंक पर छोड़ दिया गया है, बशर्ते उनका बोर्ड इस संबंध में एक पारदर्शी नीति तय करें ।

14. संयुक्त खाता धारकों के नाम जोड़ना, हटाना या अलग-अलग करना

कोई भी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक अपने विवेक से और जमाराशि के संयुक्त खाताधारकों यदि कोई हो, के अनुरोध पर,

- (i) परिस्थितियों की गरज के अनुसार संयुक्त खाता धारकों के नाम जोड़ने या हटाने की अनुमति दे सकता है, या
- (ii) किसी अकेले जमाकर्ता को संयुक्त खाता धारक के स्थ में किसी अन्य व्यक्ति का नाम जोड़ने की अनुमति दे सकता है, या
- (iii) संयुक्त जमाराशि को प्रत्येक संयुक्त खाता धारक को नाम अलग-अलग करनेकी अनुमति दे सकता है,

बशर्ते जमाराशि यदि मीयादी जमाराशि हो तो मूल जमा की राशि और अवधि में किसी प्रकार का परिवर्तन न होता हो ।

15. किसी खाताधारक की मृत्यु हो जानेपर जमाराशि का अंतरण / विभाजन

किसी जमाकर्ता की मृत्यु हो जानेपर प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक जमाराशि को जमाकर्ता के एक या अधिक कानूनी उत्तराधिकारीयों, कानूनी प्रतिनिधियों या नामितियों के नाम संयुक्त स्थ से या अन्य व्यक्तियों के साथ या राशि को विभाजित कर उनके नामें में अलग-अलग रखने की अनुमति दे सकता है ।

16. बंद खातों (फोजेन अकाउंट) पर ब्याज का भुगतान

प्रवर्तन प्राधिकारियों द्वारा बंद किए गए मीयादी जमा खातों के मामले में निम्नलिखित प्रक्रिया

अपनाई जाए ।

- (i) परिपक्वता अवधि पूरी होने पर नवीनीकरण के लिए ग्राहक से एक अनुरोध पत्र प्राप्त किया जाए । ग्राहक से अनुरोध पत्र प्राप्त करते समय ग्राहक को यह सूचित करे कि वे नवीकरण की अवधि दर्शाएं । ग्राहक द्वारा अवधि न दर्शाने की स्थिति में बैंक मूल अवधि के समान अवधि के लिए जमाराशि का नवीकरण करें ।

(ii) कोई नई पावती जारी करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, जमा लेजर में नवीनीकरण के संबंध में यथोचित टिप्पणी दज्ज की जाए।

(iii) जमाराशि के नवीनीकरण की सूचना संबंधित सरकारी विभाग को पंजीकृत पत्र/स्पीड पोस्ट/कूरियर सेवा द्वारा दी जाए जिसकी सूचना जमाकर्ता को भी दी जाए। जमाकर्ता को दी गई सूचना के अंतर्गत जिस ब्याज दर पर जमाराशि को नवीकृत किया गया है उसकी सूचना भी दी जानी चाहिए।

(iv) यदि अनुरोध पत्र प्राप्त होने की तारीख को अतिदेय अवधि 14 दिन से अधिक नहीं हो तो नवीनीकरण परिपक्वता की तारीख से की जाए। यदि वह 14 दिन से अधिक हो तो बैंकों को अपनी नीति के अनुसार अतिदेय अवधि के लिए ब्याज का भुगतान करें और उसे एक पृथक ब्याजरहित उप-खाते में रखें जिसे मूल सावधि जमाराशि जारी करते समय जारी किया जाए।

17. छूट

जमाराशियों पर ब्याज दर के बारे में जारी दिशानिर्देशों में बताई गई कोई भी बात / शर्त प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निम्नलिखित से प्राप्त जमाराशियों पर लागू नहीं होगी।

- (i) उधारदाता तथा उधारकर्ताओं दोनों के स्वप्न में माँग/सूचना मुद्रा बाजार में भाग लेने के लिए अनुमत संस्थाएं।
- (ii) "विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता योजना" के अंतर्गत किसी जमाकर्ता से।

18. निषेध

18.1 कोई भी बैंक

- (i) ज्येष्ठ नागरिकों के लिए बनाई गई विशिष्ट मीयादी जमा योजना जिसमें किसी भी आकार की जमाराशि की तुलना में उच्च और निधारित ब्याज अदा की जाती है और 15 लाख रुपये और उससे अधिक की एकल मीयादी जमाराशि जिस पर जमाराशि के आकार के आधार पर भिन्न-भिन्न ब्याज दर अनुमत की जाती है, को छोड़कर ब्याज अदा करने के मामलेमें एक ही तारीख और समान परिपक्वता वाली दो जमाराशियों के बीच भेदभाव नहीं करेगा भले ही जमाराशियां बैंक के एक ही कार्यालय में या अलग अलग कार्यालयों में प्राप्त की गई हों।

- (ii) निम्नलिखित को छोड़कर किसी भी व्यक्ति, फर्म, कंपनी एसोसिएशन, संस्था या किसी अन्य व्यक्ति को जमाराशि पर दलाली नहीं देगा।
 - (क) किसी विशेष योजना के अंतर्गत द्वार-द्वार जाकर जमाराशि इकट्ठा करने के लिए नियुक्त एजेंट को ग्रदत्त कमीशन।

(ख) रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किए गए अनुसार स्टाक को स्वीकृत प्रोत्साहन राशि

- (iii) जमाराशि इकट्ठा करने या जमाराशि से सहबद्ध किसी उत्पादन की बिक्री करने के लिए किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी, एसोसिएशन, संस्था या किसी अन्य व्यक्ति को, ऊपर खंड (ii) के उप खंड (क) में अनुमत सीमा को छोड़कर किसी भी प्रकार के पारिश्रमिक, शुल्क या कमीशन के भुगतान पर नियुक्त नहीं करेगा। काम पर नहीं लगाएगा।

- (iv) इनाम/लॉटरी/नि:शुल्क यात्रा (भारत में या विदेश में) जैसी कोई जमा संग्रहण योजना नहीं चलाएगा ।
- (v) मौजूदा /भावी उधारकर्ताओं की ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करने या जमा संग्रहण की उगाही के आधार पर मध्यस्थियों को ऋण देने के लिए एजंटों/तीसरे पक्षकारों के जरिए संसाधनों को जुटाने हेतु किसी अनैतिक प्रथा का सहारा नहीं लेगा ।
- (vi) जनता से जमाराशि एकत्रित करने के लिए अवधि विशेष के लिए बैंक द्वारा दी जा रही वास्तविक साधारण ब्याज दर का उल्लेख किए बिना केवल मीयादी जमाराशियों के बारे में यौगिक उत्पादन को उजागर करने वाले कोई विज्ञापन साहित्य जारी नहीं करेगा । जमाराशि की अवधि के लिए प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर का उल्लेख अनिवार्य स्थ से किया जाना चाहिए ।
- (vii) किसी भी ऐसी व्यवस्था के तहत (जिसमें नीजी वित्तपोषकों के एजंट/एजेटों के पक्ष में जमा रसीदें जारी करनी पड़ती हों या ऐसी परिपक्वता पर ऐसी जमाराशि प्राप्त करने के लिए ग्राहकों को मुख्तारनामा, नामांकन या अन्य प्रकार का कोई प्राधिकार देना पड़ता हो) जमाराशि स्वीकार नहीं करेगा ।
- (viii) अन्य बैंकों की सावधि जमा रसीदों या अन्य मीयादी जमाराशियों की जमानत पर कोई अग्रिम प्रदान नहीं करेगा ।

18.2 विशिष्ट निकायों/संगठनों के नाम खाते

- (i) कोई भी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक उन सरकारी विभागों/निकायों को जो अपने कार्य निष्पादन के लिए बजट आबंटन पर आश्रित हैं / महानगरपालिकाओं या म्युनिसिपल कमेटियों/पंचायत समितियों/राज्य हाऊसिंग बोर्डों/ वाटर एंड सीवरेज/ड्रेनेज बोर्डों/राज्य पाठ्यपुस्तक मुद्रण निगम/सोसायटियां/महानगरीय विकास प्राधिकरण/राज्य/जिला स्तरीय सहकारी आवास समितियां आदि या कोई राजनैतिक पार्टी या कोई व्यापारी /व्यावसायिक या मालिकाना संस्था भले ही वह संस्था मालिकाना हो या साझेदारी फर्म हो या कंपनी हो या एसोसिएशन हो, के नाम कोई बचत बैंक खाता नहीं खोलेगा ।
- (ii) ऊपर (I) पर बताया गया निषेध निम्नलिखित संगठनों/ एजंसियों के मामलों में लागू नहीं होगा:
- (क) लघु कृषक विकास एजेंसी (एसएफडीए)
 - (ख) सीमांत कृषक और कृषि श्रमिक एजेंसियां (एमएफएएल)
 - (ग) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी)
 - (घ) जिला विकास प्राधिकरण (डीडीए)
 - (ङ) जिला ग्रामिण विकास एजेंसी/सोसायटी (डीआरडीए/डीआरजीएस)
 - (च) समेकित जनजातीय विकास एजेंसी (आईटीडीए)
 - (छ) कृषि उत्पादन बाजार समितियां

- (ज) खादी और ग्रमोद्योग बोर्ड
- (झ) मछली पालक विकास एजेंसी (एफएफडीए)
- (ज) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1960 के या किसी राज्य या संघशासित राज्य में प्रभावी कानून के तहत पंजीकृत सोसायटियां
- (ट) कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा शासित वे कंपनियां जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत या भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 के प्रतिपक्षी उपबंध के अंतर्गत सरकार क्षरा लाइसेंस दिया गया है और अपने नाम के आगे "लिमिटेड" या प्राइवेट लिमिटेड शब्दों को न जोड़ने की अनुमति दी गई है।
- (ठ) ऊपर 18.2 (i) में बताई गई संस्थाओंको छोड़कर और जिनकी संपूर्ण आय को आयकर अधिनियमन 1961 के अंतर्गत आयकर से छूट दी गई है।
- (ड) जवाहर रोजगार योजना निधियों के संबंध में "जिला परिषद/ग्राम पंचायतें"
- |
- (ढ) हिंदु अविभक्त परिवार, बशर्ते हिंदु अविभक्त परिवार किसी व्यापार या व्यवसाय में न लगा हो और खाता कर्ता के नाम निर्दिष्ट हो।

अनुबंध 1

मास्टर परिपत्र

स्पया जमाराशियों पर ब्याज दर

जमाराशियों पर ब्याज की दर

(घरेलू और एनआरओ जमाराशियां)*

[पैरा 1, 4.1, 6.1, 6.2 और 6.3 देखें]

खाते की श्रेणी	प्रतिशत प्रतिवर्ष
----------------	-------------------

(i) चालू	0.5 से अधिक नहीं @
(ii) बचत	3.5 @
(iii) मीयादी जमाराशियां	
(क) 15 लाख स्पये और उससे अधिक (न्यूनतम 7 दिन की अवधि)	मुक्त (जमाराशि की मात्रा के आधार पर दर में परिवर्तन हो सकता है)
(ख) 15 लाख स्पये से कम (न्यूनतम 7 दिन की अवधि)	मुक्त (सभी ग्राहकों के लिए एक समान)

@ प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक अपने विवेकाधिकार से क्रमशः बचत बैंक जमाराशियों पर एक प्रतिशत और चालू खातों पर आधा प्रतिशत प्रतिवर्ष की सीमा तक अतिरिक्त ब्याज दे सकते हैं। चूँकि उक्त विवेकाधिकार के प्रावधान से उनकी जमाराशियों की लागत बढ़ जाती है इसलिए शहरी सहकारी बैंकों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे निम्नलिखित उपाय करें:

- (i) बचत बैंक खातों पर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ब्याज से अधिक अतिरिक्त ब्याज न दें;
- (ii) चालू खातों पर ब्याज न दें।

* साधारण अनिवासी (एनआरओ) जमाराशियां केवल वही बैंक स्वीकार करेंगे जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बारे में प्राधिकृत किया हो।

अनुबंध 2

मास्टर परिपत्र
स्पया जमाराशियों पर ब्याज दरें
जमाराशियों पर ब्याज की दर
(एनआरई जमाराशियां)*
[पैरा 1, 4.1, देखें]

खाते की श्रेणी	प्रतिशत प्रतिवर्ष
(i) चालू	कुछ नहीं

(ii) बचत	@
(iii) मीयादी जमाराशियां	@@

* अनिवासी (बाह्य) स्प्या जमाराशियां केवल वही बैंक स्वीकार करेंगे जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बारे में प्राधिकृत किया हो।

@ भारत में 17 अप्रैल 2005 को कारोबार की समाप्ति से एनआरई जमाराशियां पर ब्याज दरें छः माह की परिपक्वतावाली अमरीकी डालर जमाराशियों के लिए लीबोर / स्वैप दर की बजाय घरेलू बचत जमाराशियों पर लागू होने वाली ब्याज दरों के बराबर होनी चाहिए।

(ii) एनआरई बचत जमाराशियों की जमानत पर अग्रिम के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि एनआरई बचत जमाराशि का खाताधारक बचत जमाराशि को किसी भी समय निकाल सकता है, इसलिए बैंक इन जमाराशियों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्प्य से किसी भी प्रकार का लीयन निश्चित न करें।

@@

(i) 29 अप्रैल 2003 से नई एनआरई जमाराशियों की परिपक्वता अवधि साधारणतः एक से तीन वर्ष की होगी है। यह बात अपनी परिपक्वता अवधि के बाद नवीकृत की गई एनआरई जमाराशियों पर भी लागू होगी। यदि कोई विशिष्ट बैंक अपने आस्ति देयता प्रबंधन की दृष्टि से 3 वर्ष से अधिक की परिपक्वता अवधि के लिए ऐसी जमाराशियां स्वीकार करना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है, बशर्ते ऐसी जमाराशियों पर ब्याज दर 3 वर्ष की एनआरई जमाराशि के लिए लागू दर से अधिक न हो।

(ii) नई प्रत्यावर्तनीय एनआरई जमाराशियों पर एक से तीन वर्ष के लिए ब्याज दरें :

क्रमांक	----- को कारोबार की समाप्ति से प्रभावी	ब्याज दर निम्नलिखित से अधिक न हो
1	16 सितंबर 2008	तदनुस्पी परिपक्वता वाले अमरीकी डॉलर के लिए पिछले महीने के अंतिम कार्य दिवस को लीबोर/स्वैप दर <u>प्लस 50</u> आधार अंक
2	15 अक्टूबर 2008	तदनुस्पी परिपक्वता वाले अमरीकी डॉलर के लिए पिछले महीने के अंतिम कार्य दिवस को लीबोर/स्वैप दर <u>प्लस 100</u> आधार अंक
3	15 बवंबर 2008	तदनुस्पी परिपक्वता वाले अमरीकी डॉलर के लिए पिछले महीने के अंतिम कार्य दिवस को लीबोर/स्वैप दर <u>प्लस 175</u> आधार अंक

(क) 24 अप्रैल 2007 से संवीदाकृत नई प्रत्यावर्तनीय एनआरई जमाराशियों पर ब्याज दरें उसी परिपक्वता की पिछले महीने के अंतिम कार्य-दिवस को अमरीकी डालर के लिए लीबोर/स्वैप दर से से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये दरें तीन वर्ष से अधिक परिपक्वता अवधि की जमाराशियों और मौजूदा परिपक्वता अवधि के बाद नवीनीकृत एनआरई जमाराशियों के लिए भी लागू होंगी;

(ख) 31 जनवरी 2007 से संवीदाकृत नई प्रत्यावर्तनीय एनआरई जमाराशियों पर ब्याज दरें उसी परिपक्वता की पिछले महीने के अंतिम कार्य-दिवस को अमरीकी डालर के लिए लीबोर / स्वैप दर से 50 आधार अंकों से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये दरें तीन वर्ष से अधिक परिपक्वता अवधि की जमाराशियों और मौजूदा परिपक्वता अवधि के बाद नवीनीकृत एनआरई जमाराशियों के लिए भी लागू होंगी;

(ग) 18 अप्रैल 2006 से संवीदाकृत नई प्रत्यावर्तनीय एनआरई जमाराशियों पर ब्याज दरें उसी परिपक्वता की पिछले महीने के अंतिम कार्य-दिवस को अमरीकी डालर के लिए लीबोर / स्वैप दर से 100 आधार अंकों से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये दरें तीन वर्ष से अधिक परिपक्वता अवधि की

जमाराशियों और मौजूदा परिपक्वता अवधि के बाद नवीनीकृत एनआरई जमाराशियों के लिए भी लागू होंगी;

(घ) 17 नवंबर 2005 से संवीदाकृत नई प्रत्यावर्तनीय एनआरई जमाराशियों पर ब्याज दरें उसी परिपक्वता की पिछले महीने के अंतिम कार्य-दिवस को अमरीकी डालर के लिए लीबोर / स्वैप दर से 75 आधार अंकों से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये दरें तीन वर्ष से अधिक परिपक्वता अवधि की जमाराशियों और मौजूदा परिपक्वता अवधि के बाद नवीनीकृत एनआरई जमाराशियों के लिए भी लागू होंगी;

(ङ) 1 नवंबर 2004 से संवीदाकृत नई प्रत्यावर्तनीय जमाराशियों पर ब्याज दरें उसी परिपक्वता की पिछले महीने के अंतिम कार्य-दिवस को अमरीकी डालर के लिए लीबोर / स्वैप दर से 50 आधार अंकों से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये दरें तीन वर्ष से अधिक परिपक्वता अवधि की जमाराशियों और मौजूदा परिपक्वता अवधि के बाद नवीनीकृत एनआरई जमाराशियों के लिए भी लागू होंगी;

(च) भारत में 17 अप्रैल 2004 को कारोबार की समाप्ति से संवीदाकृत हो, उसी परिपक्वता अवधि की अमरीकी डालर की लीबोर / स्वैप दर से अधिक नहीं होनी चाहिए;

(छ) भारत में 18 अक्टूबर 2003 को कारोबार की समाप्ति से संवीदाकृत हों, उसी परिपक्वता अवधि की अमरीकी डालर की लीबोर / स्वैप दर से ऊपर 25 आधार अंक से अधिक नहीं होनी चाहिए;

(ज) भारत में 15 सितंबर 2003 को कारोबार की समाप्ति से संवीदाकृत हों, उसी परिपक्वता अवधि की लीबोर / स्वैप दर से ऊपर 100 आधार अंक से अधिक नहीं होनी चाहिए;

(झ) 17 जुलाई 2003 से संवीदाकृत हों, उसी परिपक्वता अवधि की लीबोर / स्वैप दर से ऊपर 250 आधार अंक से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(iii) पिछले माह के अंतिम कार्यदिवस को प्रभावी लीबोर/स्वैप दरें अनुवर्ती माह से लगाई जानेवाली ब्याज दरों की उच्चतम सीमा तय करने का आधार होंगी। एनआरई जमाराशियों पर ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए एफईडीएआई द्वारा उद्धृत लीबोर/स्वैप दरों का उपयोग संदर्भ दर के रूप में किया जाएगा।

- (iv) परिचालनगत सुविधा के लिए ब्याज दरों को नजदीक के दशमलव बिंदु में पूर्णांकित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए 3.67 प्रतिशत की परिकलित ब्याज दर 3.7 प्रतिशत और 3.64 प्रतिशत की परिकलित ब्याज दर 3.6 प्रतिशत हो जाएगी ।
- (v) उक्त ब्याज दरें एनआरई जमाराशियों के नवीकरण पर भी लागू होंगी ।
- (vi) 3 वर्ष की जमाराशियों के लिए ऊपर निर्धारित ब्याज दरें परिपक्वता अवधि 3 वर्ष से अधिक हो जाने पर भी लागू होंगी ।

मास्टर परिपत्र
स्पया जमाराशि पर ब्याज दरें
मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

	परिपत्र सं.	तारीख	विषय
1.	शबैवि. बीपीडी. पीसीबी. परि.सं.. 65 /13.01.000 /2009-10	05.05.2010	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा मीयादी जमा मे पुनर्निवेश के लिए मीयादी जमा, दैनिक या आवधिक जमा का परिवर्तन
2.	शबैवि.(पीसीबी) बीपीडी. परि.सं. 48 /13.01.000 /2009-10	04.03.2010	दैनंदिन उत्पाद आधार पर बचत बैंक खाते पर ब्याज का भुगतान
3.	शबैवि.(पीसीबी)बीपीडी.परि.सं.7 /13.01.000 /2009-10	01.09.1009	दैनंदिन उत्पाद आधार पर बचत बैंक खाते पर ब्याज का भुगतान
4.	शबैवि.केका.(पीसीबी) बीपीडी.परि.सं.4 /13.01.000 /2009-10	20.08.2009	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अवरुद्ध खाते पर ब्याज का भुगतान
5.	शबैवि. पीसीबी.केका. बीपीडी .परि. 25 /13.01.000 / 2008-09	17-11-2009	अनिवासी (बाह्य) स्पया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरें-शसबै
6.	शबैवि. पीसीबी.केका. बीपीडी .परि. 22 /13.01.000 / 2008-09	16-10-2008	अनिवासी (बाह्य) स्पया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरें-शसबै
7.	शबैवि. पीसीबी.केका. बीपीडी .परि. 21 /13.01.000 / 2008-09	01-10-2008	बंद खातों (फ्रोजेन अकाउंट) पर ब्याज का भुगतान - शसबै
8.	शबैवि. पीसीबी.केका. बीपीडी .परि. 16 /13.01.000 / 2008-09	19-09-2008	अनिवासी (बाह्य) स्पया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरें-शसबै
9.	शबैवि. पीसीबी.केका. बीपीडी .परि. 16 /13.01.000 / 2008-09	01-09-2008	अदावी जमाराशि तथा निष्क्रिय खाते - शसबै
10.	शबैवि. पीसीबी.केका. बीपीडी .परि. 21 /13.01.000 / 2007-08	15.11.2007	निश्चित अवरुद्धता अवधि वाली जमा योजनाएं
11.	शबैवि. पीसीबी.केका. बीपीडी .परि. 37 /13.01.000 / 2006-07	26.04.2007	अनिवासी (बाह्य) स्पया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरें-शसबै
12.	शबैवि. पीसीबी. केका. बीपीडी . परि. 28 /13.01.000 /2006-07	05.02.2007	अनिवासी (बाह्य) स्पया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरें-शसबै
13.	शबैवि. पीसीबी.परि.48/13.01.00/2005-06	20.04.2006	अनिवासी (बाह्य) स्पया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरें-शसबै
14.	शबैवि. पीसीबी.परि.42/13.01.00/2005-06	05.04.2006	अनिवासी जमाराशियों पर ब्याज दरें- शसबै
15.	शबैवि. पीसीबी.परि.17/13.01.00/2005-06	22.11.2005	अनिवासी (बाह्य) स्पया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरें-शसबै
16.	शबैवि. पीसीबी.परि.27/13.01.00/2004-05	01.11.2004	अनिवासी (बाह्य) स्पया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरें
17.	शबैवि. सं.28/13.01.00/2004-05	01.11.2004	घरेलू /साधारण अनिवासी (एनआरओ) मीयादी जमाराशियों की परिपत्रता अवधि में कटौती
18.	बीपीडी.पीसीबी.परि.49/13.01.00/2002-03	29.04.2003	अनिवासी (बाह्य) स्पया (एनआरई) खाता योजना के अंतर्गत जमाराशियां
19.	शबैवि.बीपीडी.(पीसीबी)परि.सं.4/13.01.00/ 2002-03	17.07.2003	अनिवासी (बाह्य) स्पया खातों (एनआरई खाते) के अंतर्गत जमाराशियों पर ब्याज

			दर
20.	शबैवि.केंका.बीपीडी.सं.14/13.01.00/2003-04	17.07.2003	अनिवासी (बाह्य) स्पया खातों (एनआरई खाते) के अंतर्गत जमाराशियों पर ब्याज दर
21.	शबैवि.बीपीडी.(पीसीबी)परि.सं. 20/13.01.00/2003-04	18.10.2003	अनिवासी (बाह्य) स्पया खातों (एनआरई खाते) के अंतर्गत जमाराशियों पर ब्याज दर
22.	शबैवि.बीपीडी.पीसीबी.परि.सं.43/13.01.00/2003-04	08.04.2004	देशी, साधारण अनिवासी (एनआरओ) एवं अनिवासी बाह्य (एनआरई) खातों में धारित स्पया जमाराशि पर ब्याज दरें
23.	शबैवि.बीपीडी.(पीसीबी)परि.सं.46/13.01.00/2003-04	17.04.2004	अनिवासी (बाह्य) स्पया खातों (एनआरई खाते) के अंतर्गत जमाराशियों पर ब्याज दर
24.	बीपीडी.पीसीबीपरि.49/13.01.00/2002-03	29.04.2003	अनिवासी (बाह्य) स्पया (एनआरई) खाता योजना के अंतर्गत जमाराशियां
25.	शबैवि.बीपीडी.(पीसीबी)परि.सं.4/13.01.00/2002-03	17.07.2003	अनिवासी (बाह्य) स्पया खातों (एनआरई खाते) के अंतर्गत जमाराशियों पर ब्याज दर
26.	शबैवि.केंका.बीपीडी.सं.14/13.01.00/2003-04	17.09.2003	अनिवासी (बाह्य) स्पया खातों (एनआरई खाते) के अंतर्गत जमाराशियों पर ब्याज दर
27.	शबैवि.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं.20/13.01.00/2003-04	18.10.2003	अनिवासी (बाह्य) स्पया खातों (एनआरई खाते) के अंतर्गत जमाराशियों पर ब्याज दर
28.	शबैवि.बीपीडी.(पीसीबी.)परि.सं.43/13.01.00/2003-04	08.04.2004	देशी, साधारण अनिवासी (एनआरओ) एवं अनिवासी बाह्य (एनआरई) खातों में धारित स्पया जमाराशि पर ब्याज दरें
29.	शबैवि.बीपीडी.(पीसीबी)परि.सं.46/13.01.00/2003-04	17.04.2004	अनिवासी (बाह्य) स्पया खातों (एनआरई खाते) के अंतर्गत जमाराशियों पर ब्याज दर
30.	शबैवि.बीपीडी.निदे.(पीसीबी) सं.42/13.01.00/ 2000-01	25.3.2003	जमाराशियों पर ब्याज दरें
31.	शबैवि.सं.(पीसीबी) निदे. 10/ 13.01.00/ 2000-01	19.4.2001	जमाराशियों पर ब्याज दरें
32.	शबैवि.सं.डीएस.निदे.13.01.00/2000-01	13.01.2001	जमाराशियों पर ब्याज दरें
33.	शबैवि.सं.डीएस(पीसीबी)परि.20/13.01.00/2000-01	22.12.2000	मीयादी जमाराशि की जमानत पर दिए अग्रिमों पर ब्याज दर
34.	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.निदे.10/13.01.00/1999-2000	27.04.2000	जमाराशियों पर ब्याज दर
35.	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.32/13.01.00/1999-2000	27.4.2000	अनिवासी (बाह्य) खातों के अंतर्गत रखी जमाराशि पर ब्याज दर
36.	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.29/13.01.00/1999-2000	01.04.2000	जमाराशियों पर ब्याज दर
37.	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.निदे.7/13.01.00/1999-2000	01.07.2000	जमाराशियों पर ब्याज दर
38.	शबैवि.सं.डीएस.2/13.01.00/1999-2000	21.09.199	जमाराशियों पर ब्याज दर

		9	
39.	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.9/13.01.00/1999-2000	21.09.1999	जमाराशियों पर ब्याज दर
40.	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.59/13.01.00/1997-98	26.05.1998	जमाराशियों पर ब्याज दर
41.	शबैवि.सं.डीएस.निदे.पीसीबी.14/13.01.00/1997-98	29.04.1998	जमाराशियों पर ब्याज दर
42.	शबैवि.सं.डीएस.निदे.पीसीबी.परि.53/13.01.00/1999-2000	29.04.1998	जमाराशियों पर ब्याज दर
43.	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.12/13.01.00/1997-98	21.10.1997	जमाराशियों पर ब्याज दर
44.	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.निदे.5/13.01.00/1997-98	21.10.1997	जमाराशियों पर ब्याज दर
45.	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.निदे.2/13.01.00/1997-98	12.09.1997	अनिवासी (बाय)स्पया (एनआरई)खाता योजना के अंतर्गत जमाराशि पर ब्याज दर
46.	शबैवि.सं.डीएस.परि.पीसीबी.6/13.01.00/1997-98 1997-98	12.09.1997	अनिवासी (बाय)स्पया (एनआरई)खाता योजना के अंतर्गत जमाराशि पर ब्याज दर
47.	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.2/13.01.00/1997-98	17.07.1997	जमाराशि पर ब्याज दर
48.	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.निदे.26/13.01.00/1996-97	25.06.1997	जमाराशि पर ब्याज दर
49.	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.निदे.27/13.01.00/1996-97	25.06.1997	अनिवासी (बाय)स्पया (एनआरई)खाता योजना के अंतर्गत जमाराशि पर ब्याज दर
50.	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.57/13.01.00/1996-97	25.06.1997	जमाराशियों पर ब्याज दर
51.	शबैवि.सं.डीएस. परि.पीसीबी.58/ 13.01.00/1996-97	25.06.1997	अनिवासी (बाहय)स्पया (एनआरई)खाता योजना के अंतर्गत जमाराशि पर ब्याज दर
52.	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.निदे.27/13.01.00/1996-97	25.06.1997	जमाराशि पर ब्याज दर
53.	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.45/13.01.00/1996-97	19.04.1997	जमाराशियों पर ब्याज दर - मीयादी जमाराशि का परिपक्तापूर्व आरण
54.	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.निदे.20/13.01.00/1996-97	15.04.1997	जमाराशि पर ब्याज दर
55.	शबैवि.सं.डीएस.(पीसीबी.)निदे.21/13.01.00/1996-97	15.04.1997	जमाराशि पर ब्याज दर
56.	शबैवि.सं.डीएस.परि.पीसीबी.44/13.01.00/1996-97	15.04.1997	जमाराशि पर ब्याज दर
57.	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी. परि.21/ 13.01.00 / 1996-97	19.10.1997	जमाराशि पर ब्याज दर
58.	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.18/13.01.00/1996-97	30.08.1996	अनिवासी (बाहय)स्पया (एनआरई)खाता योजना के अंतर्गत जमाराशि पर ब्याज दर
59.	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.निदे.9/13.01.00/199	30.08.199	जमाराशि पर ब्याज दर

	6-97	6	
60.	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.16/13.01.00/19 96-97	09.08.199 6	मीयादी जमाराशि की जमानत पर दिए अग्रिमों पर ब्याज दर
61.	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.2/13.01.00/199 6-97	01.07.199 6	जमाराशि पर ब्याज दर
62.	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.निदे.2/13.01.00/199 6-97	01.07.199 6	जमाराशि पर ब्याज दर
63.	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.निदे.25/13.01.00/19 95-96	13.04.199 6	जमाराशि पर ब्याज दर
64.	शबैवि.सं.डीएस.परि.पीसीबी.59/13.01.00/19 96-97	13.04.199 6	जमाराशि पर ब्याज दर
65.	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.निदे.24/13.01.00/19 95-96	30.03.199 6	जमाराशि पर ब्याज दर
66.	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.57/13.01.00/19 95-96	30.03.199 6	जमाराशि पर ब्याज दर
67.	शबैवि.सं.डीएस.(पीसीबी).12/13.01.00/199 5-96	30.10.199 5	जमाराशि पर ब्याज दर
68.	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.24/13.01.00/1995- 96	30.10.199 5	जमाराशि पर ब्याज दर
69.	शबैवि.सं.डीएस.(पीसीबी).निदे.10/13.01.00/ 1995-96	29.09.199 5	मीयादी जमाराशि की जमानत पर दिए अग्रिमों पर ब्याज दर
70.	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.15/13.01.00/1995- 96	29.09.199 5	जमाराशि पर ब्याज दर
71.	शबैवि.सं.डीएस.परि.पीसीबी.17/13.01.00/19 95-96	09.09.199 5	मीयादी जमाराशि की जमानत पर दिए अग्रिमों पर ब्याज दर
72.	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.8/13.01.00/1995- 96	29.09.199 5	जमाराशियों पर ब्याज दर
73.	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.निदे.17/13.01.00/19 94-95	06.05.199 5	जमाराशियों पर ब्याज दर
74.	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.निदे.13/13.01.00/19 94-95	17.4.1995	जमाराशियों पर ब्याज दर
75.	शबैवि.सं.डीएस.परि.पीसीबी.50/13.01.00/19 94-95	17.4.1995	जमाराशियों पर ब्याज दर
76.	शबैवि.सं.डीएस.(पीसीबी)निदे.10 /13.01.00/ 1994-95	09.02.199 5	जमाराशियों पर ब्याज दर
77.	शबैवि.सं.डीएस.परि.पीसीबी.42/13.01.00/19 94-95	09.02.199 5	जमाराशियों पर ब्याज दर
78.	शबैवि.सं.डीएस.परि.पीसीबी.40/13.01.00/19 94-95	04.02.199 5	जमाराशियों पर ब्याज दर
79.	शबैवि.सं.डीएस.परि.पीसीबी.26/13.01.00/19 94-95	26.10.199 4	जमाराशिपर ब्याज दर -मीयादी जमाराशि की जमानत पर अग्रिम के संबंध में मार्जिन
80.	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.निदे.7/13.01.00/199 4-95	26.10.199 4	जमाराशियों पर ब्याज दर
81.	शबैवि.सं.डीएस.परि.पीसीबी.21/13.01.00/19 94-95	17.10.199 4	जमाराशियों पर ब्याज दर
82.	शबैवि.सं.डीएस. परि.पीसीबी.22/13.01.00/	17.10.199	अनिवासी (बाय) स्पया खाते (एनआरई

	1994-95	4	खाते) की जमाराशियों पर ब्याज दरें
83.	शबैवि.सं.डीएस.(पीसीबी).निदे.4/13.01.00/1994-95	17.10.1994	जमाराशियों पर ब्याज दर
84.	शबैवि.सं.डीएस.(पीसीबी).निदे.5/13.01.00/1994-95	17.10.1994	जमाराशियों पर ब्याज दर
85.	शबैवि.सं.डीएस.परि.एडी.1/13.01.00/1994-95	07.07.1994	जमाराशियों पर ब्याज दर
86.	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.निदे.1/13.01.00/1994-95	05.07.1994	जमाराशियों पर ब्याज दर
87.	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.(परि)83/13.01.00/1993-94	16.06.1994	बचत बैंक खाते पर ब्याज का परिकलन - मासिक आय निर्धारित करना
88.	शबैवि.सं.(पीसीबी.)परि.70/13.01.00/1993-94	14.05.1994	जमाराशियों पर ब्याज दर
89.	शबैवि.सं.(पीसीबी.)निदे.3/13.01.00/1993-94	14.05.1994	अनिवासी (बाय) स्पया खाता (एनआरई खाते) योजना के अंतर्गत जमाराशियां
90.	शबैवि.सं.(पीसीबी).परि.58/13.01.00/1993-94	6.02.1994	जमाराशियों पर ब्याज दर परिपक्वतापूर्व आरण
91.	शबैवि.सं.(पीसीबी).परि.54/13.01.00/1993-94	08.02.1994	न्यूनतम अवधि से पले मीयादी जमाराशि का परिवक्वता अवधि पूर्व आरण - जमाराशि की जमानत पर दिए गए अग्रिमों पर ब्याज दर
92.	शबैवि.सं.(पीसीबी.)डीसी.24/13.01.00/1993-94	11.10.1993	जमाराशियों पर ब्याज दर
93.	शबैवि.सं.(पीसीबी.)डीसी.25/13.01.00/1993-94	11.10.1993	जमाराशियों पर ब्याज दर
94.	शबैवि.सं.(पीसीबी.)15/डीसी/13.01.00/1993-94	01.09.1993	जमाराशियों पर ब्याज दर
95.	शबैवि.सं.(पीसीबी.)डीसी.16/13.01.00/1993-94	01.09.1993	जमाराशियों पर ब्याज दर
96.	शबैवि.सं.(पीसीबी.)9/13.01.00/1993-94	04.08.1993	46 दिन की मीयादी जमाराशि का परिपक्वतापूर्व आरण - जमाराशि की जनामन पर अग्रिमों के संबंधमें ब्याज दरें
97.	शबैवि.सं.(पीसीबी.)91/डीसी./13.01.00/1992-93	23.06.1993	जमाराशियों पर ब्याज दर
98.	शबैवि.सं.(पीसीबी.)92/डीसी.वी.1(बी)/1992-93	23.06.1993	जमाराशियों पर ब्याज दर
99.	शबैवि.सं.(पीसीबी.)78/डीसी.वी.1(बी)/1992-93	26.05.1993	जमाराशियों पर ब्याज दर परिपक्वतापूर्व आहरण
100.	शबैवि.सं.(पीसीबी.)68/डीसी.वी.1(बी)/1992-93	15.05.1993	जमाराशियों पर ब्याज दर
101.	शबैवि.सं.(पीसीबी.)69/डीसी. वी.1(बी)/1992-93	15.05.1993	जमाराशियों पर ब्याज दर - लंबी अवधि के लिए जमाराशि स्वीकार करना
102.	शबैवि.सं.(पीसीबी.)56ए/डीसी. वी.1(बी)/1992-93	07.04.1993	जमाराशियों पर ब्याज दर
103.	शबैवि.सं.(पीसीबी.)57/डीसी.वी.1(बी)/1992-93	07.04.1993	अनिवासी (बाय) स्पया खातों के अंतर्गत रखी जमाराशियों पर ब्याज दर
104.	शबैवि.सं.(एसयूसी)104/डीसी.वी.1(बी)/1992-93	13.03.1993	जमाराशियों पर ब्याज दर

105	शबैवि.सं.(पीसीबी.)50/डीसी.वी.1 (बी)/1992-93	27.02.199 3	जमाराशियों पर ब्याज दर
106	शबैवि.सं.(पीसीबी)51/डीसी.वी.1(बी)/92-93	27.02.199 3	जमाराशियों पर ब्याज दर
107	शबैवि(डीसी)36/पी.1/92-93	28.01.199 3	जमाराशियों पर ब्याज दर के संबंध में दिशा निर्देश- उपहार का स्वीकार्य मूल्य
108	शबैवि.सं.(पीसीबी)24/डीसी.वी.1/92-93	08.10.199 2	जमाराशियों पर ब्याज दर
109	शबैवि.सं.(पीसीबी)23/डीसी.वी.1/92-93	08.10.199 2	जमाराशि [विदेशी मुद्रा से इतर (अनिवासी) खाते और अनिवासी (बाह्य) स्थाया खाते]
110	शबैवि.सं.(पीसीबी)15/डीसी.वी.1/92-93	18.9.1992	46 दिनों की अवधिवाली मियादी जमाराशियों का परिपक्वतापूर्व आहरण जमाराशि कीजमानत पर अग्रिमों के संनंध में ब्याज दर
111	शबैवि.सं.(यूएएफ)1/डीसी.वी.1 /92-93	24.07.199 2	बचत जमापर ब्याज दर - 24.4.1992 से 5% प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 6% प्रतिवर्ष करना
112	शबैवि.सं.(पीसीबी)70/डीसी.वी.1/91-92	23.04.199 2	जमाराशियों पर ब्याज दर
113	शबैवि.सं.(पीसीबी)71/डीसी.वी.1/91-92	-"-	जमाराशियों पर ब्याज दर
114	शबैवि.सं.(पीसीबी)64/डीसी.वी.1/91-92	21.04.199 2	जमाराशियों पर ब्याज दर
115	शबैवि.सं.(पीसीबी)65/डीसी.वी.1/91-92	-"-	जमाराशियों पर ब्याज दर
116	शबैवि.सं.(एसयूसी)48/डीसी.वी.1/(बी) 91-92	30.11.199 1	जमाराशियों पर ब्याज दर
117	शबैवि.सं.(पीसीबी)24/डीसी.वी.1/91-92	08.10.199 1	जमाराशियों पर ब्याज दर
118	शबैवि.सं.(पीसीबी)25/डीसी.वी.1/91-92	08.10.199 1	जमाराशियों पर ब्याज दर
119	शबैवि.सं.(पीसीबी)19/डीसी.वी.1/91-92	20.09.199 1	जमाराशियों पर ब्याज दर
120	शबैवि.सं.(पीसीबी)20/डीसी.वी.1/91-92	20.09.199 1	जमाराशियों पर ब्याज दर
121	शबैवि.सं.(आरओ)6/डीसी.वी.1/91-92	17.09.199 1	बचत बैंक खाता खोलना - जमा राशियों पर ब्याज दर - मीयादी जमाराशि पर ब्याज का भुगतान
122	शबैवि.सं.(पीसीबी)1/डीसी.वी.1/91-92	22.7.1991	जमा राशियोंपर ब्याज दर
123	शबैवि.सं.(पीसीबी)2/डीसी.वी.1/91-92	22.7.1991	जमाराशियों पर ब्याज दर
124	शबैवि.सं.(पीसीबी)76/डीसी.वी.1/90-91	26.04.199 1	जमा राशियोंपर ब्याज दर- मीयादी जमाराशि का परिपक्वतापूर्व आहरण - ब्याज के परिकलन की पद्धति और दर
125	शबैवि.सं.(पीसीबी)64/डीसी.वी.1/90-91	12.04.199 1	जमा राशियोंपर ब्याज दर
126	शबैवि.सं.(पीसीबी)65/डीसी.वी.1/90-91	12.04.199 1	जमा राशियोंपर ब्याज दर
127	शबैवि.सं.(पीसीबी)67/डीसी.वी.1/90-91	12.04.199 1	जमा राशियोंपर ब्याज दर

128	शबैवि.सं.(पीसीबी)68/डीसी.वी.1/90-91	12.04.199 1	अनिवासी (बाह्य) स्पजया खातों के अंतर्गत रखीं जमाराशियों पर ब्याज दर
129	शबैवि.सं.(पीसीबी)44/डीसी.वी.1/90-91	-	जमा राशियोंपर ब्याज दर
130	शबैवि.सं.(पीसीबी)34/डीसी.वी.1/90-91	16.01.199 1	जमा राशियोंपर ब्याज दर
131	शबैवि.सं.29/डीसी.29/(वी.1)/90-91	8.12.1990	आवर्ति जमाराशिकी किस्तों में चूक के लिए दंडात्मक ब्याज लगाना
132	शबैवि.सं.(पीसीबी)26/डीसी.(वी.1)/90-91	30.11.199 0	जमा राशियोंपर ब्याज दर
133	शबैवि.सं.(पीसीबी)20/डीसी.(वी.1)/90-91	15.10.199 0	जमा राशियोंपर ब्याज दर
134	शबैवि.सं.(पीसीबी)14/डीसी.वी.1/90-91	09.10.199 0	जमा राशियोंपर ब्याज दर
135	शबैवि.सं.(पीसीबी)15/डीसी.वी.1/90-91	09.10.199 0	जमा राशियोंपर ब्याज दर
136	शबैवि.सं.(पीसीबी)8/डीसी.वी.1/90-91	07.09.199 0	जमाराशियोंपर ब्याज के संबंध में निर्देश
137	शबैवि.सं.(पीसीबी)9/डीसी.वी.1/90-91	07.09.199 0	मृत जमाकर्ता के जमाखाते पर देय ब्याज
138	शबैवि.सं.(पीसीबी)32/डीसी.वी.1(बी)/89-90	30.04.199 0	जमाराशियोंपर ब्याज दर
139	शबैवि.सं.(यूसीबी)23/डीसी.(वी.1)/89-90	12.04.199 0	जमाराशियोंपर ब्याज दर
140	शबैवि.सं.(यूसीबी)24/डीसी.(वी.1)/89-90	12.04.199 0	अनिवासी (बाह्य) स्पजया खातों के अंतर्गत रखीं जमाराशियों पर ब्याज दर
141	शबैवि.सं.(पीसीबी)16/डीसी.वी.1(बी)/89-90	05.03.199 0	जमाराशियोंपर ब्याज दर
142	शबैवि.सं.डीसी.49 /वी.1 89-90	13.12.198 9	आवर्ति जमा के परिपक्वतापूर्व अपहरण/ बंद करने पर ब्याज के परिकलन को पद्धति और आवर्ती जमा की किस्तों में चूक के लिए दंडात्मक ब्याज लगाना
143	शबैवि.सं.डीसी.3 /वी.1 89-90	09.10.198 9	जमाराशियोंपर ब्याज दर
144	शबैवि.सं.डीसी.32 /वी.1 89-90	09.10.198 9	जमाराशियोंपर ब्याज दर
145	शबैवि.सं.डीसी.9 /वी.1 89-90	31.07.198 9	जमाराशियोंपर ब्याज दर- मीयादी जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान
146	शबैवि.सं.डीसी.101 /वी.1 88-89	27.03.198 9	जमाराशियोंपर ब्याज दर
147	शबैवि.सं.डीसी.102 /वी.1 88-89	27.03.198 9	जमाराशियोंपर ब्याज दर
148	शबैवि.सं.डीसी.12 /वी.1(बी) 88-89	30.7.1988	जमाराशियोंपर ब्याज के संबंध में निर्देश
149	शबैवि.सं.डीसी.104 /वी.1/ 87-88	02.04.198 8	जमाराशियोंपर ब्याज दर
150	शबैवि.सं.डीसी.105 /वी.1 /87-88	02.04.198 8	जमाराशियोंपर ब्याज दर
151	शबैवि.सं.डीसी.63 /वी.1/ 86-87	19.11.198 7	बचत बैंक खातों पर ब्याज का भुगतान

152	शबैवि.सं.डीसी.60 /वी.1 /87-88	13.11.198 7	जमाराशियोंपर ब्याज दर - अति देय जमाराशियों पर देय ब्याज दर
153	शबैवि.सं.डीसी.46 /वी.1 /87-88	10.10.198 7	जमाराशियोंपर ब्याज दर
154	शबैवि.सं.डीसी.7 /वी.1 /87-88	06.07.198 7	-"-
156	शबैवि.सं.डीसी.8 /वी.1 /87-88	06.07.198 7	-"-
157	शबैवि.सं.डीसी.102 /वी.1 /86-87	25.06.198 7	-"-
158	शबैवि.सं.डीसी.103 /वी.1 /86-87	25.06.198 7	-"-
159	शबैवि.सं.डीसी.68 /वी.1 /86-87	01.04.198 7	-"-
160	शबैवि.सं.डीसी.60 /वी.1 86-87	31.3.1987	-"-
161	शबैवि.सं.डीसी.61 /वी.1 86-87	31.3.1987	-"-
162	शबैवि.सं.डीसी.57 /वी.1 /85-86	19.11.198 5	सावधि जमाराशियों की जमानत पर दिए ऋणों पर मार्जिन और ब्याज दर
163	शबैवि.सं.डीसी.56 /वी.1/ 85-86	19.11.198 5	सरकारी विभागों, अर्ध सरकारी, कासी गवर्नमेंट और स्थानीय निकायों एवं जन उपयोगी सेवाओं में लगे राज्य आवास बोर्ड जैसे कर्तिपय संगठनों के बचत बैंक खातों पर ब्याज का भुगतान
164	शबैवि.सं.डीसी.36 /वी.1 /85-86	9.10.1985	जमाराशियोंपर ब्याज दर
165	शबैवि.सं.डीसी.21 /वी.1 /85-86	12.9.1985	जमाराशियोंपर ब्याज के संबंध में निर्देश
166	शबैवि.(डीसी) 3408/वी.1-84/85	25.05.198 5	स्पयों में अनिवासी खाते
167	शबैवि.(डीसी) 3413/वी.1-84/85	25.05.198 5	जमाराशियों पर ब्याज
168	शबैवि.(डीसी) 3415/वी.1-84/85	25.05.198 5	जमाराशियों पर ब्याज दर - 10 वर्ष से अधिक अवधि के लिए जमाराशियां स्वीकारना
169	शबैवि.(डीसी) 3414/वी.1-84/85	24.05.198 5	जमाराशियों पर ब्याज दर
170	शबैवि.(डीसी) 3160/वी.1-84/85	06.04.198 5	जमाराशियों पर ब्याज दर
171	शबैवि.(डीसी) 3161/वी.1-84/85	06.04.198 5	जमाराशियों पर ब्याज दर
172	शबैवि.आईएण्डएल.1707/जे.1-84/85	23.02.198 5	पुनर्निवेश योजना के अंतर्गत स्वीकारी गई जमाराशियों पर ब्याज को जमा खातों में जमा करना
173	शबैवि.(डीसी) 890/वी.1-84/85	09.01.198 5	जमाराशियों पर ब्याज दर - मृत जमाकर्ता के चालु खाते में पड़ी राशि पर बचत बैंक दर से ब्याज अदा करना
174	डीबीओडी .यूबीडी. (डीसी) 128/वी.1-83/84	22.07.198 3	जमाराशियों पर ब्याज दर
175	डीबीओडी .यूबीडी. (डीसी) 1055/वी.1-82/83	04.12.198	जमाराशियों पर ब्याज दर

		3	
176	डीबीओडी .यूबीडी. (डीसी) 464/वी.1-82/83	26.10.198 2	जमाराशियों पर ब्याज दर
177	डीबीओडी .यूबीडी. (डीसी) 465/वी.1-82/83	26.10.198 2	जमाराशियों पर ब्याज दर
178	एसीडी.आईडी. (डीसी) 38/वी.1-82/83	09.07.198 2	जमाराशियों पर ब्याज दर से संबंधित निदेशों के उपबंधों का उल्लंघन
179	एसीडी.आईडी. (डीसी) 2692/वी.1-81/82	03.06.198 2	जमाराशियों पर ब्याज दर - जन उपयोगी सेवाओं में लगे नगरपालिका निगमों, राज्य आवास बोर्डों जैसे कर्तिपय संगठनों के बचत बैंक खातों पर ब्याज का भुगतान
180	एसीडी.आईडी. (डीसी) 1882/वी.1-81/82	01.03.198 2	जमाराशियों पर ब्याज दर
181	एसीडी.आईडी. (डीसी) 1883/वी.1-81/82	01.03.198 2	जमाराशियों पर ब्याज दर
182	एसीडी.आईडी. (डीसी) 1249/वी.1-81/82	21.12.198 1	जमाराशियों पर ब्याज दर
183	एसीडी.आईडी. (डीसी) 1251/वी.1-81/82	21.12.198 1	जमाराशियों पर ब्याज दर
184	एसीडी.आईडी. (डीसी) 367/वी.1-81/82	13.08.198 1	जमाराशियों पर ब्याज दर - जमा राशि का परिपक्वता पूर्व आरण
185	एसीडी.आईडी. (डीसी) 369/वी.1-81/82	13.08.198 1	जमाराशियों पर ब्याज दर
186	एसीडी.आईडी. (डीसी) 256/वी.1-81/82	22.07.198 1	जमाराशियों पर ब्याज दर - जमा राशि का परिपक्वता पूर्व आरण
187	एसीडी.आईडी. (डीसी) 2133/वी.1-80/81	02.03.198 1	जमाराशियों पर ब्याज दर
188	एसीडी.आईडी. (डीसी) 2132/वी.1-80/81	02.03.198 1	जमाराशियों पर ब्याज दर
189	एसीडी.आईडी. (डीसी) 2961/वी.1-79/80	16.05.198 0	जमाराशियों पर ब्याज से संबंधित निदेश
190	एसीडी.आईडी. (डीसी) 791/वी.1-79/80	14.05.197 9	जमाराशियों पर ब्याज दर
191	एसीडी.आईडी. (डीसी) 790/वी.1-79/80	13.09.197 9	जमाराशियों पर ब्याज दर
192	एसीडी.आईडी. (डीसी) 3167/वी.1-78/79	19.02.197 9	जमाराशियों पर ब्याज दर
193	एसीडी.आईडी. (डीसी) 1259/वी.1-78/79	20.04.197 8	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54ई के अंतर्गत घोषणा द्वारा शामिल की गई जमाराशि पर ब्याज दर
194	एसीडी.आईडी. (डीसी) 584/वी.1-78/79	23.08.197 8	जमाराशियों पर ब्याज दर
195	एसीडी.आईडी. (डीसी) 585/वी.1-78/79	23.08.197 8	जमाराशियों पर ब्याज दर
196	एसीडी.आईडी. (डीसी) 9264/वी.1-77/78	02.06.197 8	जमाराशियों पर ब्याज दर - सावधि जमाराशि पर मासिक आधार पर ब्याज का भुगतान
197	एसीडी.आईडी. (डीसी) 8866/वी.1-77/78	10.05.197	जमाराशियों पर ब्याज के संबंध में निर्देश

		8	
198	एसीडी.आईडी. (डीसी) 6975/वी.1-77/78	07.03.197 8	जमाराशियों पर ब्याज दर
199	एसीडी.आईडी. (डीसी) 6976/वी.1-77/78	07.03.197 8	जमाराशियों पर ब्याज दर
200	एसीडी.आईडी. (डीसी) 6870/वी.1-77/78	01.03.197 8	जमाराशियों पर ब्याज दर
201	एसीडी.आईडी. (डीसी) 6871/वी.1-77/78	01.03.197 8	जमाराशियों पर ब्याज दर
202	एसीडी.आईडी. (डीसी) 2717/वी.1-77/78	21.09.197 7	जमाराशियों पर ब्याज दर
203	एसीडी.आईडी. (डीसी) 2718/वी.1-77/78	31.9.1977	जमाराशियों पर ब्याज दर
204	एसीडी.आईडी. (डीसी) 1092/वी.1-77/78	30.07.197 7	जमाराशियों पर ब्याज दर- अतिवेदय जमाराशि
205	एसीडी.आईडी. (डीसी) 11438/वी.1-76/77	20.06.197 7	जमाराशियों पर ब्याज दर
206	एसीडी.आईडी. (डीसी) 10844/वी.1-76/77	31.05.197 7	जमाराशियों पर ब्याज दर
207	एसीडी.आईडी. (डीसी) 10845/वी.1-76/77	31.05.197 7	जमाराशियों पर ब्याज दर
208	एसीडी.आईडी. (डीसी) 3677वी.1-76/77	01.11.197 6	जमाराशियों पर ब्याज दर- जमा सबध्द जनता वैयक्तिक दुर्घटना पॉलिसी
209	एसीडी.आईडी. (डीसी) 12504/जे.32-75/76	21.06.197 6	जमाराशियों पर ब्याज दर
210	एसीडी.आईडी. (डीसी) 12505/जे.32 75/76	21.06.197 6	जमाराशियों पर ब्याज दर
211	एसीडी.आईडी. (डीसी) 8217/जे 32-75/76	31.01.197 6	जमाराशियों पर ब्याज दर - जमाराशियों का परिपक्वतापूर्व आरण
212	एसीडी.आईडी. (डीसी) 5257/जे.32-75/76	24.11.197 5	जमाराशियों पर ब्याज दर - जमा संग्रण योजना
213	एसीडी.आईडी. (डीसी) 4300/जे.32-74/75	12.02.197 5	जमाराशियों पर ब्याज दर
214	एसीडी.आईडी. (डीसी) 4301/जे.32-74/75	12.02.197 5	जमाराशियों पर ब्याज दर
215	एसीडी.आईडी. (डीसी) 4141/जे.32-74/75	31.01.197 5	जमाराशियों पर ब्याज दर
216	एसीडी.आईडी. (डीसी) 4142/जे.32-74/75	31.01.197 5	जमाराशियों पर ब्याज दर
217	एसीडी.आईडी. 3986/जे.32-74/75	21.10.197 5	जमाराशियों पर ब्याज दर
218	एसीडी.आईडी. 2918/जे.32-74/75	22.11.197 4	जमाराशियों पर ब्याज दर
219	एसीडी.आईडी. 2919/जे.32-74/75	22.11.197 4	जमाराशियों पर ब्याज दर
220	एसीडी.आईडी. 935/जे.32-74/75	16.08.197 4	जमाराशियों पर ब्याज दर
221	एसीडी.आईडी. 936/जे.32-74/75	16.08.197 4	जमाराशियों पर ब्याज दर